प्रभु दयाल

बनाम

सदन सहकारी समिति मुझुरी विकास खण्ड पनियारा व अन्य

(सिविल अपील संख्या 6227/2004)

फरवरी 27, 2008

[माननीय न्यायाधीपतिगण डा. अरिजीत पसायत, सी.के. ठक्कर तथा लोकेश्वर सिंह पनता, जे.जे.]

श्रम कानून- सहकारी सोसायटी के कर्मचारियों का निष्कासन - समझौता निर्णय के आधार पर श्रम प्राधिकरण के द्‌वारा वसूली का आदेश जारी किया गया- जिसे चुनौती दी गयी- अभिनिर्धारणः उत्तर प्रदेश औद्‌योगिक विवाद अधिनियम, 1947 तथा मजदूरी संदाय अधिनियम, 1963 पंजीकृत सहकारी समिति के कर्मचारियों की सेवाओं पर लागू नहीं होती है- अतः, उच्च न्यायालय की राय न्यायोचित- परन्तु उच्च न्यायालय का, पक्षकारान के मध्य समझौते के आधार पर पारित निर्णय को, रद्द करने का आदेश, रद्द किया जाता है- उत्तर प्रदेश औद्‌योगिक विवाद अधिनियम, 1947, मजदूरी संदाय अधिनियम, 1963.

अपीलार्थी को प्रत्यर्थी, जिसके चार अन्य कर्मचारी थे, के साथ नियुक्त किया गया था। अपीलार्थी ने उसके निष्कासन को चुनौती दी थी। श्रम न्यायालय को विनिश्चय हेतु निर्देशित किया गया। दोनों पक्षकारान के मध्य समझौता हो गया तथा अपीलार्थी को निश्चित राशि, इस शर्त पर, प्रदान की गयी कि वह श्रम विधि के तहत विविध प्राधिकरण के तहत लंबित समस्त प्रार्थना पत्रों को वापिस ले लेगा। अपीलार्थी को राशि अदा कर दी गई, परन्तु उसके द्वारा मामलों को वापिस नहीं लिया गया। प्रत्यर्थी-सोसायटी ने रिट याचिका इस आधार पर दायर की कि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1963 तथा उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 प्रत्यर्थी पर लागू नहीं होते हैं। प्रत्यर्थी के द्वारा दायर की गयी रिट याचिका स्वीकार कर ली गयी तथा पक्षकारान के समझौते के आधार पर पारित किया गया निर्णय दिनांकित 09.12.1986 को रद्द कर दिया गया। इसलिए हस्तगत अपील दायर की गयी।

अपील को स्वीकार करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया-

उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 सहकारी समिति के कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 26 की उपधारा (2) के तहत जारी अधिसूचना दिनांकित 30.06.1988 से यह स्पष्ट होता है कि मजदूरी संदाय अधिनियम, 1963 के प्रावधान, सहकारी सोसायटी के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत सोसायटी में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाआें पर, लागू नहीं होते हैं। सहकारी

सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा अदा की गई तनख्वाह तथा वाहन भत्ता आदि की भी समय-समय पर समीक्षा की जाती है। अतः, उच्च न्यायालय के द्वारा लिया गया विचार न्यायोचित है। परन्तु जो निर्णय पारित किया गया था, वह पक्षकारान के मध्य हुए समझौते के आधार पर पारित किया गया था, इसलिए उच्च न्यायालय को उक्त निर्णय को रद्द नहीं करना चाहिए था। तद्नुसार उच्च न्यायालय के आदेश का वह हिस्सा, जिसमें उनके द्वारा उक्त निर्णय को दिनांक 09.12.1986 को रद्द किया गया था, उसे रद्द किया जाता है। (पैरा 4 तथा 6) [620- C, D, F, G]

हिमांशु कुमार विद्यार्थी व अन्य. बनाम बिहार राज्य, 1997(4) SCC 391; आर.सी. तिवारी बनाम मध्य प्रदेश राज्य काॅपरेटिव मार्केटिंग फ्रेडरेशन लिमिटेड व अन्य. AIR 1997 SC 2652- आश्रित निर्णय

सिवील अपीलीय क्षेत्राधिकारः- सिवील अपील सं. 6227/2004

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के C.M.V.I. संख्या 30939/1990 में दिनांकित 25.07.2003 निर्णय व आदेश से उत्पन्न)

रामेश्वर प्रसाद गोयल तथा अनूप कुमार श्रीवास्तव- अपीलार्थी के लिए

प्रवीण स्वरूप- प्रत्यर्थी के लिए

न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधिपति डाॅ. अरिजीत पसायत जे. के द्वारा पारित किया गया।

1. हस्तगत अपील के माध्यम से अपीलार्थी ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के विद्वान सिंगल जज के निर्णय, जिसमें प्रत्यर्थीगण- सदन सहकारी समिति मुझुरी विकास खण्ड पनियारा व अन्य (जिन्हें आगे काॅपरेटिव सोसायटी से सम्बोधित किया जाएगा) की रिट याचिका को स्वीकृत किया गया है, को चुनौती दी गई है। इस अपील के माध्यम से मुख्यतः समझौता निर्णय के आधार पर मजदूर प्राधिकरण के रिकवरी आदेश को चुनौती दी गई है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी को प्रत्यर्थी, जिसके चार अन्य कर्मचारी और हैं, के साथ नियुक्त किया गया था, जिस प्रकार उस पर मजदूर विधि उस पर लागू नहीं होती थी। परन्तु अपीलार्थी ने मजदूरी संदाय अधिनियम, 1963 (संक्षिप्त में अधिनियम से सम्बोधित किया जाएगा) के तहत एक मुकदमा दायर किया तथा उसे स्वीकृत करते हुए सोसायटी काे यह आदेशित किया गया कि वह अपीलार्थी को 4,830/रू अदा करेगी। उक्त आदेश की अनुपालना में अपीलार्थी को धारा 15 मजदूरी संदाय अधिनियम के तहत मार्च 1988 में राशि अदा कर दी गयी। अपीलार्थी ने पुनः एक प्रार्थना पत्र, इस आपत्ति के साथ कि उसे न्यूनतम संदाय से कम राशि अदा की गयी है, धारा 6(4) उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (संक्षिप्त में यू.पी. अधिनियम से सम्बोधित किया जाएगा) के तहत दायर किया। अपीलार्थी का उक्त दावा भी एकपक्षीय निर्धारित किया गया। जिसके पश्चात

अपीलार्थी ने यह दावा किया कि उसे निष्कासित कर दिया गया है। उक्त दावों के माध्यम से उसने उसके निष्काशन के आदेश पर आपत्ति जाहिर की तथा उक्त आपत्ति के आधार पर श्रम न्यायालय, गोरखपुर को विनिश्चय हेतु निर्देशन भेजा गया, जो कि मुकदमा संख्या 334/1987 पर दायर हुआ। श्रम न्यायालय के समक्ष, उभयपक्षकारान के मध्य एक समझौता हुआ तथा उक्त समझौते के आधार पर श्रम न्यायालय ने दिनांक 09.12.1988 को एक निर्णय पारित किया, जिसके अनुसार अपीलार्थी 12,726 रुपये प्राप्त करने का हकदार हुआ। हालांकि, उक्त समझौते के अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य एक शर्त रखी गयी थी कि अपीलार्थी विविध प्राधिकरणों के तहत लंबित समस्त प्रार्थना पत्रों को वापिस ले लेगा। जिनमें श्रम न्यायालय में लंबित प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6(4) यू.पी. एक्ट भी सम्मिलित थी। उक्त आदेश दिनांकित 09.12.1988 के अनुसरण में अपीलार्थी को निश्चित राशि अदा कर दी गयी, परन्तु अपीलार्थी ने समझौते के अनुसार प्रार्थना पत्र वापिस नहीं लिये तथा उनको जारी रखने का अनुरोध किया, जिसके पश्चात कुछ प्रार्थना पत्रों का फैसला एकपक्षीय पारित हुआ।

रीट याचिकाओं में, अपीलार्थी का यह तर्क था की दिनांक 30.06.1998 को जारी अधिसूचना के अनुसार अधिनियम उस पर लागू नहीं होता है। उसका यह भी तर्क था कि यू पी अधिनियम भी उस पर लागू नहीं होता है क्योंकि अपिलार्थी की सेवायें वैधानिक विनियम से

साशित होती है। उच्च न्यायालय के द्वारा प्रत्यर्थी-सोसायटी की अर्ज़ी के तथ्यों को मान्य किया गया तथा उसकी रीट याचिक़ा को स्वीकार करते हुए दिनांक 31.12.1998, 25.09.1989, 31.03.1990, 03.09.1990 की आदेश तथा 09.12.1988 को समझौते के आधार पर पारित किए गए निर्णय को रद्द कर दिया।

अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के उक्त आदेश की वैधानिकता को इस आधार पर चुनौती दी कि समझौते के आधार पर पारित किए गये निर्णय को रद्द नहीं किया जा सकता है।

3. प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता ने उच्च न्यायालय ने उक्त निर्णय का समर्थन किया।

4. *हिमांशु कुमार विद्यार्थी व अन्य बनाम बिहार राज्य व अन्य, 1997(4) एस.सी.सी 391* में यह अभिनिर्धारित की गया है कि श्रम अधिनियम उन सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होते है जिनकी सेवाएँ वैधानिक नियम से साशित होती है। अतः, यूपी अधिनियम, कोआपरेटिव सोसाइटी पर लागू नहीं होता है। न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम, 1948 (संक्षिप्त में मजदूरी अधिनियम से सम्बोधित किया जाएगा) की धारा 26 उपधारा 2 के तहत दिनांक 30.06.1998 को जारी अधिसूचना से यह स्पष्ट होता है कि उपरोक्त अधिनियम कोआपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के साथ पंजीकृत सोसाइटी में कार्यरत कर्मचारियों पर लागू नहीं होता है।

यह भी दर्शाया गया था की कोआपरेटिव सोसाइटी के रजिस्ट्रार के द्वारा अदा की गई तनख़्वाह तथा अन्य वाहन भतों की भी समय समय पर समीक्षा की जाती है।

5. *आर सी तिवारी बनाम एम पी स्टेट कोआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड व अन्य, ए आई आर 1997 एससी 2652*, में हस्तगत न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि उत्तर प्रदेश सोसाइटी अधिनियम (संक्षिप्त में सोसायटी अधिनियम से सम्बोधित किया जाएगा) के मध्यस्थ अनुच्छेद के मद्देनज़र श्रम विवाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है।

6. अतः, उच्च न्यायालय की राय न्यायोचित थी, परंतु जहां तक दिनांक 09.12.1988 के निर्णय की बात है, तो वह निर्णय उभयपक्षकारान के मध्य हुए समझौते के आधार पर पारित किया गया था। जिस वजह से, उच्च न्यायालय को उक्त निर्णय को रद्द नहीं करना चाहिए था। अंततः, हस्तगत अपील को स्वीकृत किया जाता है तथा उच्च न्यायालय का आदेश, दिनांक 09.12.1988 के आदेश की हद तक, अपास्त किया जाता है। खर्चे के संबंध में पृथक से कोई आदेश पारित नहीं किया जाता है।

अपील स्वीकृत की गयी।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिकि अधिकारी अमन गुप्ता, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।